एनसीआरबी अधिदेश

क्रमांक	मूल अधिदेश
I.	अपराध और अपराधियों पर, जिसमें राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय लोग भी शामिल है, एक क्लीयरिंग हाउस के रूप में कार्य करना जिससे कि जांचकर्ताओं और अन्य एजेंसियों को अपराधों को दोषी व्यक्तियों से जोड़ने में सहायता मिल सके।
II.	अन्तर्राज्यीय तथा अन्तरराष्ट्रीय अपराधिओं पर भारत में सम्बन्धित राज्यों, राष्ट्रीय जाँच एजेंसियों, न्यायालयों तथा अभियोग पक्षों से तथा उनके पुलिस थानों के रिकार्ड को देखे बिना ही सूचना को जमा करना, समन्वय तथा प्रसारित करना।
III.	राष्ट्रीय स्तर पर अपराध सांख्यिकी को एकत्र एवं प्रोसेस करना।
IV.	दंण्डात्मक एवं सुधारात्मक ऐजेन्सियो से डाटा प्राप्त करना एवं अपराधियों के पुनर्वास, रिमाण्ड, पैरोल तथा समय से पूर्व रिहाई इत्यादि के कार्यों के लिए डाटा की आपूर्ति करना।
V.	राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो के क्रिया–कलापों को समन्वय, मार्गदर्शन तथा सहायता प्रदान करना।
VI.	राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो के कार्मिकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना।
VII.	अपराध रिकार्ड ब्यूरो का मूल्यांकन, विकास तथा आधुनिकरण करना।

क्रमांक	बढ़े हुए अधिदेश
I.	सीसीटीएनएस परियोजना की मॉनीटरिंग और कार्यान्वयन जिसमें आई सी जे एस (ICJS) के अन्य स्तम्भ जैसे कि न्यायालय, जेल, फोरेन्सिक इत्यादि के साथ पासपोर्ट वाहन और सारथी आदि के साथ इंटीग्रेशन भी शामिल हैं।
II.	राष्ट्रीय स्वचालित अंगुलि छाप पहचान प्रणाली (NAFIS), चेहरे की उन्नत पहचान प्रणाली (AFRS) तथा अपराध डाटा विश्लेषण जैसे विशेषीकृत समाधानों का कार्यान्वयन।
III.	राज्य पुलिस के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का विकास तथा मोबाइल एप्लीकेशन।
IV.	यौन अपराधियों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस का सृजन एवं संरक्षण (दिनांक 25/04/2018 का अ.शा.सं.01/03/2018 न्यायिक सेल देखें)।
V.	महिला एवं बच्चों के प्रति साइबर अपराध रोकथाम के तहत ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का परिचालन संबंधी प्रबंधन।
VI.	14 सी के तहत एनसीआरबी मुख्यालय में राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केन्द्र (NCTC) की स्थापना करना।